[2019] 3 उम. नि. प. 46

महादेवप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य मार्फत लोक अभियोजक

7 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदू मल्होत्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क और 302 – पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर पत्नी के साथ क्रूरता और उसकी हत्या करना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टि – दोषसिद्धि – यदि मृतका के माता-पिता सहित अन्य साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी शराब पीने का आदी था और मृतका के साथ विवाह होने के कुछ समय पश्चात् से ही उसके साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता करने लगा था और धन की भी मांग करता था और इसलिए, उसने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़ककर मृत्यु कारित कर दी है तो इन परिस्थितियों में, उसकी दोषसिद्धि उचित है और इसमें हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी (अभियुक्त) का विवाह तारीख 4 जून, 1994 को रुकमिणी बाई (मृतका) के साथ हुआ था । उसी दिन रुकमिणी बाई की छोटी बहिन अर्थात् सोना बाई का विवाह अपीलार्थी के छोटे भाई भीमानंद के साथ हुआ था । दोनों विवाह लोकापुर नामक स्थान पर लोकेश्वर मंदिर में अनुष्ठापित हुए थे । विवाह के पश्चात्, अपीलार्थी, जो पुलिस थाना, कालादागी, जिला बागलकोट में कांस्टेबल के रूप में सेवारत था, रुकमिणी बाई के साथ कालादागी चला गया था । जहां तक अपीलार्थी के छोटे भाई का संबंध है, वह नागालैंड में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था । वह भी अपनी पत्नी के साथ नागालैंड चला गया था । तारीख 2 अक्तूबर, 1995 को रुकमिणी बाई के पिता-एकनाथ (अभि. सा. 1) को एक बेतार संदेश प्राप्त हुआ कि रुकमिणी बाई दाह-क्षतियों के कारण राजकीय अस्पताल

बागलकोट में भर्ती है । संदेश प्राप्त होने पर एकनाथ और गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत बागलकोट गए । अस्पतला पहुंचने पर एकनाथ ने अपनी पुत्री-रुकमिणी बाई की हालत अत्यंत नाजुक पाई । जब एकनाथ ने रुकमिणी बाई से उसे पहुंची क्षतियों के कारण के बारे में पूछा तो, वह पहले तो उसे देखकर रोने लगी और फिर कहा कि उसके पति (अपीलार्थी) ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी । बाद में, अंततोगत्वा उसी दिन 6.15 बजे अपराह्न में रुकमिणी बाई की जब वह अस्पताल में थी, क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् एकनाथ (अभि. सा. 1) ने उसी दिन अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना, कालादागी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषक अधिकारी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण करना शुरू किया । उसने कई व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किए, शव की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिप्राप्त की और अन्वेषण पूर्ण करने तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । इसके पश्चात् मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । सेशन न्यायाधीश ने तारीख 31 मई, 2000 के निर्णय/आदेश द्वारा अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज की मांग के आरोप को साबित नहीं कर सका है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि रुकमिणी बाई की मानव वध मृत्यु हुई थी । दूसरे शब्दों में, सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । राज्य ने अपीलार्थी की दोषमुक्ति से व्यथित होकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश की वैधता और शुद्धता को प्रश्नगत करने के लिए अपील के लिए विशेष इजाजत लेकर अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील फाइल करने की इजाजत दी और बाद में राज्य की

अपील मंजूर की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से स्पष्ट निबंधनों में अपीलार्थी के विरुद्ध दोनों आरोप, अर्थात् दहेज की मांग और हत्या युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होते हैं और इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने के लिए दायी है । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1, मृतका-रुकमिणी बाई का पिता है । उसने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी राज्य पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था । वह प्रतिदिन शराब पीने का आदी था । वह प्राय: अभि. सा. 1 के मकान पर पूर्ण नशे की हालत में आता रहता था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने उसे और उसकी पत्नी (रुकमिणी बाई की माता) को यह बताया था कि अपीलार्थी शराब के नशे में रुकमिणी बाई पर इस बात के लिए जोर डालता था कि वह भी शराब पिए और निर्वस्त्र होकर उसके सामने नृत्य करे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने बहुत बार उसे यह बताया था कि अपीलार्थी घर में अक्सर उसे तंग करता रहता है और दुर्व्यवहार करता है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई उसे यह भी बताती रहती थी कि अपीलार्थी जब नशे की हालत में होता है तो उसके साथ मारपीट करता है और उस पर जोर डालता है कि वह अपने माता-पिता के घर जाए और उसके लिए 4,000/- से 5,000/- रुपए लेकर आए । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दो अवसरों पर रुकमिणी के माध्यम से अपीलार्थी के लिए 2,000/- रुपए भेजने की व्यवस्था की थी किंतु तीसरी बार उसने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण और धनराशि भेजने से इनकार कर दिया । इस साक्षी ने यह

अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने एक बार उसे यह बताया था कि जब वह अकेले अपीलार्थी के साथ होती है तो उसे अपनी जान के खतरे की आशंका रहती है और इसलिए वह वापस आना चाहती है और अपने माता-पिता के साथ उनके घर रहना चाहती है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि गांव के बुजुर्ग लोगों के मध्यक्षेप से रुकमिणी बाई को वापस जाने और अपीलार्थी के साथ रहने के लिए मनाया गया था और वह इसके लिए सहमत हो गई थी । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि आठ दिनों के पश्चात् उसके निवास-स्थान पर उसे एक संदेश मिला कि रुकमिणी बाई को उसके शरीर पर बहुत सारी दाह-क्षतियां पहुंची हैं और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई है । इसलिए, वह अपने नातेदारों और मित्रों के साथ तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुआ । वहां पहुंचने पर वह रुकमिणी बाई से मिला और तब उसने उसे बताया कि अपीलार्थी ने ही उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला था, जिसके कारण उसे क्षतियां पहुंची हैं । अभि. सा. 5 (सविता बाई) मृतका की माता है । उसके अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर न्यायालय यह पाता है कि उसने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि की है जिसका न्यायालय ने सभी तात्विक बातों का ऊपर ब्यौरा दिया है । दूसरे शब्दों में, अभि. सा. 4 ने भी अपीलार्थी के बारे में वैसा ही बयान दिया है, जो अभि. सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिया है और इसमें अपीलार्थी का रुकमिणी बाई के साथ उसकी मृत्यु होने तक के बर्ताव और जिस प्रकार उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, के बारे में बयान सम्मिलित है । अब, न्यायालय अभि. सा. 5 के साक्ष्य पर आता है । वह अभि. सा. 1 का एक अन्य दामाद है । उसका नाम भीमानंद है । वह अपीलार्थी का भाई है । उसका अभि. सा. 1 की एक अन्य पुत्री सोनाबाई से विवाह हुआ है । उसका विवाह भी उसी दिन अनुष्ठापित हुआ था जिस दिन अपीलार्थी का रुकमिणी बाई के साथ विवाह हुआ था । अब, न्यायालय अभि. सा. 17 (कृष्टप्पा) के साक्ष्य पर आता है । वह मृतका के पिता एकनाथ (अभि. सा. 1) का घनिष्ठ नातेदार है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि एक बार वह रुकमिणी बाई के निवास स्थान पर गया था और जब वह तुलसीगेरी स्थित मंदिर जा रहा था तो उसे रुकमिणी बाई मिली और अपीलार्थी की शिकायत की और उससे कहा कि उसके पिता (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी के लिए धनराशि भेजने का संदेश देना ।

पूर्वोल्लिखित चार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने पर स्पष्ट निबंधनों में यह साबित हो जाता है कि प्रथमत:, अपीलार्थी शराब पीने का आदी था, द्वितीयत:, वह मृतका और उसके माता-पिता से अक्सर धन की मांग करता रहता था, और तृतीयत:, वह कभी-कभी मृतका के साथ दुर्व्यवहार और उस पर हमला करता था । दुर्व्यवहार करने और धन की मांग करने की घटना एक बार नहीं घटी थी अपितु बहुत बार घटी थी और यह विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही आरंभ हो गया था जो रुकमिणी की मृत्यु तक जारी रहा । न्यायालय की राय में, मृतका के पिता और माता के साक्ष्य को व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जो ऐसे विवाद्यकों पर कथन करने के लिए अति स्वाभाविक और तात्विक साक्षी हैं । वास्तव में, ऐसी परिस्थितियों में, पुत्री-एक नव-विवाहित लड़की अपनी घरेलू समस्याओं को सदैव सबसे पहले अपनी माता और अपने पिता को प्रकट करना चाहेगी और उसके पश्चात् अपने घनिष्ठ नातेदारों को क्योंकि उनकी उस तक पहुंच होती है और सदैव उसकी समस्याओं को हल करने में मददगार होते हैं । अत:, न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी (पति) के अपनी पत्नी-रुकमिणी बाई के प्रति उनके विवाह के ठीक पश्चात् के कृत्य और उसके प्रति व्यवहार, जिनके परिणामस्वरूप रुकमिणी बाई की उनके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई, पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 498क स्पष्टीकरण (क) और (ख) के अर्थांतर्गत आते हैं । इसके पश्चात् न्यायालय को इस अन्य प्रश्न की परीक्षा करनी है कि क्या रुकमिणी बाई की मृत्यु मानव वध मृत्यु थी या आकस्मिक । साक्ष्य का परिशीलन करने पर न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि रुकमिणी बाई की मृत्यु उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने और आग लगाने के कारण हुई थी और यह कृत्य केवल अपीलार्थी ही कर सकता था, कोई अन्य व्यक्ति नहीं । दूसरे शब्दों में, यह मानव वध मृत्यु का मामला था न कि आकस्मिक मृत्यु का मामला । यह बात निम्नलिखित परिस्थितियों से साबित होती है । प्रथम यह विवादग्रस्त नहीं है कि प्रश्नगत घटना मकान में तब घटी थी जब केवल मृतका और अपीलार्थी मौजूद थे । दूसरे शब्दों में, घटना के समय केवल अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जो मकान में मृतका

के साथ मौजूद था । इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ही कुछ युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दे सकता था कि प्रश्नगत घटना कैसे और किस रीति में घटी थी । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि रुकमिणी बाई जब चूल्हे पर पानी उबाल रही थी तब संयोग से उसकी साड़ी में आग लग गई थी । हमारी राय में, अपीलार्थी की इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । द्वितीय, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट और डाक्टर (अभि. सा. 6) के साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतका के शव पर मिट्टी का तेल पाया गया था और दूसरी बात यह कि कमरे में मिट्टी के तेल की एक बोतल भी पड़ी हुई थी । मृतका के शव पर मिट्टी के तेल की मौजूदगी से यह उपदर्शित होता है कि उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला गया था । चूंकि केवल अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जो कमरे (रसोईघर) में मौजूद था, वह ही था जो ऐसा कर सकता था । तृतीय, कमरे में पाई गई टूटी हुई चूड़ियों से यह सुझाव मिलता है कि मृतका ने अपने आप को बचाने के लिए अवश्य ही अपीलार्थी के साथ संघर्ष किया होगा जिसके कारण उसकी चूड़ियां टूटी थीं । चतुर्थ, यदि यह चूल्हे से आग पकड़ने का ही मामला होता, तब ऐसी स्थिति में मृतका के शव से मिट्टी के तेल की गंध आती हुई नहीं पाई जाती । पंचम, यह किसी का पक्षकथन नहीं है कि मृतका ने अपने पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की और फिर स्वयं को आग लगा दी । षष्ठम, अपीलार्थी और मृतका के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे । अपीलार्थी मृतका से धन की मांग करता रहता था जिसे वह अपीलार्थी को देने की स्थिति में नहीं थी । सप्तम, यदि यह दुर्घटना का मामला रहा होता, जैसा कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाया गया है, तब मृतका को पहुंची क्षतियां उसके शरीर के ऊपरी भाग के बजाय शरीर के निचले भाग पर अधिक न होती क्योंकि, प्रतिरक्षा पक्ष के अनुसार, मृतका तब चूल्हे के पास थी जब उसकी साड़ी में आग लगी थी । तथापि, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि दाह-क्षतियां उसके शरीर के ऊपरी भाग पर अधिक थीं और उसका ब्लाउज जला हुआ पाया गया था । अपीलार्थी द्वारा दिए गए किसी युक्तिसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में और जो स्पष्टीकरण सुझाया गया उसे साबित नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त परिस्थितियां, जिस

रीति में घटना घटी और कमरे से अभिगृहीत सामग्री अर्थात् मिट्टी के तेल की बोतल को ध्यान से रखते हुए, युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित होता है कि अपीलार्थी रुकमिणी की मृत्यु कारित करने के लिए उत्तरदायी था । दूसरे शब्दों में, रुकमिणी बाई की मृत्यु मानव वध मृत्यु थी न कि आकस्मिक । पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के तर्काधार और निष्कर्ष से सहमत है । (पैरा 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 50)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 1261.

2000 की दांडिक अपील सं. 1040 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर के तारीख 3 जनवरी, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री मल्लिकार्जुन एस. मयलार, मंजूनाथ, (सुश्री) उम्मे सल्मा और (सुश्री) ई. आर. सुमथी
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री जोसफ अरिस्टोटल एस., (श्रीमती) प्रिया अरिस्टोटल, शिवा पी., (सुश्री) अरुणा हन्नाह दत्ता और (सुश्री) अनीता शेनॉय

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील 2000 की दांडिक अपील सं. 1040 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर द्वारा तारीख 3 जनवरी, 2007 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में प्रत्यर्थी/राज्य द्वारा फाइल की अपील मंजूर की ।

2. इस अपील में उद्भूत विवाद्यकों का मूल्यांकन करने के लिए इसमें नीचे विस्तार से तथ्यों को उपवर्णित करना आवश्यक है ।

3. अपीलार्थी (अभियुक्त) का विवाह तारीख 4 जून, 1994 को रुकमिणी बाई (मृतका) के साथ हुआ था । उसी दिन रुकमिणी बाई की छोटी बहिन अर्थात् सोना बाई का विवाह अपीलार्थी के छोटे भाई भीमानंद के साथ हुआ था । दोनों विवाह लोकापुर नामक स्थान पर लोकेश्वर मंदिर में अनुष्ठापित हुए थे ।

4. विवाह के पश्चात्, अपीलार्थी, जो पुलिस थाना, कालादागी, जिला बागलकोट में कांस्टेबल के रूप में सेवारत था, रुकमिणी बाई के साथ कालादागी चला गया था । जहां तक अपीलार्थी के छोटे भाई का संबंध है, वह नागालैंड में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था । वह भी अपनी पत्नी के साथ नागालैंड चला गया था ।

5. तारीख 2 अक्तूबर, 1995 को रुकमिणी बाई के पिता-एकनाथ (अभि. सा. 1) को एक बेतार संदेश प्राप्त हुआ कि रुकमिणी बाई दाह-क्षतियों के कारण राजकीय अस्पताल बागलकोट में भर्ती है । संदेश प्राप्त होने पर एकनाथ और गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत बागलकोट गए । अस्पताल पहुंचने पर एकनाथ ने अपनी पुत्री-रुकमिणी बाई की हालत अत्यंत नाजुक पाई ।

6. जब एकनाथ ने रुकमिणी बाई से उसे पहुंची क्षतियों के कारण के बारे में पूछा, तो वह पहले तो उसे देखकर रोने लगी और फिर कहा कि उसके पति (अपीलार्थी) ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी । बाद में, अंततोगत्वा उसी दिन 6.15 बजे अपराह्न में रुकमिणी बाई की, जब वह अस्पताल में थी, क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई ।

7. इसके पश्चात् एकनाथ (अभि. सा. 1) ने उसी दिन अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, भारतीय दंड संहिता) की धारा 302 के साथ पठित धारा 498क के अधीन अपराध कारित करने के लिए पुलिस थाना, कालादागी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (1995 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 99) दर्ज की । अन्वेषक अधिकारी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण करना शुरू किया । उसने कई व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किए, शव की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिप्राप्त की और

अन्वेषण पूर्ण करने तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । इसके पश्चात् मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया ।

8. सेशन न्यायाधीश ने तारीख 31 मई, 2000 के निर्णय/आदेश द्वारा अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज की मांग के आरोप को साबित नहीं कर सका है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि रुकमिणी बाई की मानव वध मृत्यु हुई थी । दूसरे शब्दों में, सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

9. राज्य ने अपीलार्थी की दोषमुक्ति से व्यथित होकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश की वैधता और शुद्धता को प्रश्नगत करने के लिए अपील के लिए विशेष इजाजत लेकर अपील फाइल की ।

10. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील फाइल करने की इजाजत दी और बाद में राज्य की अपील मंजूर की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से स्पष्ट निबंधनों में अपीलार्थी के विरुद्ध दोनों आरोप, अर्थात् दहेज की मांग और हत्या युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होते हैं और इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने के लिए दायी है । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री मल्लिकार्जुन एस. मयलार और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री जोसफ अरिस्टोटल को सुना ।

12. अपीलार्थी (अभियुक्त) की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री मल्लिकार्जुन एस. मयलार ने आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सेशन न्यायाधीश के निर्णय को उलटे जाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था । उन्होंने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय को सेशन न्यायाधीश के आदेश को बनाए रखना चाहिए था, जिसने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थी को ठीक ही दोषमुक्त किया था कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं ।

13. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि यह उलटे जाने का मामला होने के कारण यह न्यायालय यह पता लगाने की दृष्टि से, कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त है या नहीं, स्वयं अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है ।

14. इसके पश्चात् विद्वान् काउंसेल ने संपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया और घटना की तारीख से पूर्व घटित हुई परिस्थितियों और जिस रीति में वे घटनाएं घटित हुई थी उनका उल्लेख करके यह दर्शित करने का हार्दिक प्रयास किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अर्थांतर्गत दहेज की मांग का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय रुकमिणी बाई की हत्या करने का आरोप बनता है ।

15. दूसरे शब्दों में, विद्वान् काउंसेल की दलील यह थी कि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दोनों आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण

के मुकाबले प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए, जिसने अपीलार्थी को ये अपराध कारित करने के लिए गलत रूप से दोषी ठहराया है ।

16. इसके उत्त्र में, प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और यह दलील दी कि यह अपील खारिज की जानी चाहिए । उनकी दलील यह थी कि सेशन न्यायाधीश अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप सेशन न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्ति का गलत निष्कर्ष निकाला गया जबकि, विद्वान् काउंसेल के अनुसार, उच्च न्यायालय का साक्ष्य का मूल्यांकन करने में और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में दृष्टिकोण सही था कि अपीलार्थी के विरुद्ध दोनों आरोप अर्थात् दहेज की मांग और हत्या सिद्ध होते हैं ।

17. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम उच्च न्यायालय के तर्काधार और निष्कर्ष से सहमत हैं ।

18. हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि का युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध किया गया है और इसलिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए और तद्नुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन दंडनीय दो अपराध कारित करने के लिए दंडादिष्ट किया ।

19. साक्ष्य का मूल्यांकन करने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि यह बात विवादग्रस्त नहीं है कि रुकमिणी बाई की मृत्यु अपीलार्थी के साथ उसके विवाह के 17 माह के भीतर हुई थी । (विवाह की तारीख 4 जून, 1994 है और उसकी मृत्यु की तारीख 2 अक्तूबर, 1995 है) । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि रुकमिणी बाई किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं थी और एक स्वस्थ स्त्री थी । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि उसकी मृत्यु तारीख 2 अक्तूबर, 1995 को उसे पहुंची गंभीर दाह-क्षतियां के कारण हुई थी ।

20. अत:, विचार करने के लिए उद्भूत प्रश्न है : प्रथम, क्या अपीलार्थी ने किसी भी समय पर रुकमिणी बाई या/और उसके माता-पिता से कोई दहेज की मांग की थी ; और द्वितीय क्या रुकमिणी बाई की मृत्यु "मानव वध" प्रकृति की थी या "आकस्मिक" प्रकृति की थी ।

21. दूसरे शब्दों में, विचार करने के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या रुकमिणी बाई की मृत्यु को "दहेज मृत्यु" माना जा सकता है जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क को लागू किया जा सके और दूसरी बात यह है कि क्या उसकी मृत्यु "मानव वध मृत्यु" थी जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लागू की जा सके या यह "आकस्मिक मृत्यु" थी ।

22. अभि. सा. 1, मृतका-रुकमिणी बाई का पिता है । उसने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी राज्य पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था । वह प्रतिदिन शराब पीने का आदी था । वह प्राय: अभि. सा. 1 के मकान पर पूर्ण नशे की हालत में आता रहता था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने उसे और उसकी पत्नी (रुकमिणी बाई की माता) को यह बताया था कि अपीलार्थी शराब के नशे में रुकमिणी बाई पर इस बात के लिए जोर डालता था कि वह भी शराब पिए और निर्वस्त्र होकर उसके सामने नृत्य करे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने बहुत बार उसे यह बताया था कि अपीलार्थी घर में अक्सर उसे तंग करता रहता है और दुर्व्यवहार करता है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई उसे यह भी बताती रहती थी कि अपीलार्थी जब नशे की हालत में होता है तो उसके साथ मारपीट करता है और उस पर जोर डालता है कि वह अपने माता-पिता के घर जाए और उसके लिए 4,000/- से 5,000/- रुपए लेकर आए । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दो अवसरों पर रुकमिणी के माध्यम से अपीलार्थी के लिए 2,000/- रुपए भेजने की व्यवस्था की थी किंतु तीसरी बार उसने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण और धनराशि भेजने से इनकार कर दिया । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने एक बार उसे यह बताया था कि जब वह अकेले अपीलार्थी के साथ होती है तो उसे अपनी जान के खतरे की आशंका रहती है और इसलिए वह वापस आना चाहती है और अपने

माता-पिता के साथ उनके घर रहना चाहती है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि गांव के बुजुर्ग लोगों के मध्यक्षेप से रुकमिणी बाई को वापस जाने और अपीलार्थी के साथ रहने के लिए मनाया गया था और वह इसके लिए सहमत हो गई थी ।

23. इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई ने अपनी ससुराल लौट कर आने पर पाया कि अपीलार्थी ने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया था और उसकी बुरी आदतें ज्यों की त्यों थी । इसलिए, उसने अपने पिता को अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए एक पत्र भेजा था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रुकमिणी बाई से पत्र प्राप्त होने पर उसकी पत्नी-सावित्री बाई और उसके बड़े भाई की पत्नी-द्रौपदी अपीलार्थी के मकान पर गई थीं किंतु अपीलार्थी ने दोनों महिलाओं के साथ गाली-गलौज की और उन्हें रुकमिणी बाई से मिलने नहीं दिया । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उस दिन दोनों महिलाओं की अपने जूते से पिटाई तक कर दी । इसके पश्चात् दोनों महिलाएं पुलिस थाने गई और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनुरोध किया कि अपीलार्थी को समझाएं कि वह अपनी पत्नी के साथ ठीक प्रकार से बर्ताव करें । दोनों महिलाओं ने घर वापस आकर अपने भाई को घटना के बारे में बताया और उसने फिर रुकमिणी बाई से संपर्क किया तब रुकमिणी बाई ने उसे बताया कि अपीलार्थी के लिए 3,000/- रुपए भेज दो, नहीं तो उसे अपने माता-पिता के घर पास आने की अनुज्ञा दो ।

24. अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि आठ दिनों के पश्चात् उसके निवास स्थान पर उसे एक संदेश मिला कि रुकमिणी बाई को उसके शरीर पर बहुत सारी दाह-क्षतियां पहुंची हैं और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई है । इसलिए, वह अपने नातेदारों और मित्रों के साथ तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुआ । वहां पहुंचने पर वह रुकमिणी बाई से मिला और तब उसने उसे बताया कि अपीलार्थी ने ही उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला था, जिसके कारण उसे क्षतियां पहुंची हैं ।

25. अभि. सा. 5 (सविता बाई) मृतका की माता है । उसके

अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर हम यह पाते हैं कि उसने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि की है जिसका हमने सभी तात्विक बातों का ऊपर ब्यौरा दिया है । दूसरे शब्दों में, अभि. सा. 4 ने भी अपीलार्थी के बारे में वैसा ही बयान दिया है, जो अभि. सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिया है और इसमें अपीलार्थी का रुकमिणी बाई के साथ उसकी मृत्यु होने तक के बर्ताव और जिस प्रकार उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, के बारे में बयान सम्मिलित है ।

26. अत:, हम अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य को शब्दश: दोहराने की आवश्यकता नहीं समझते हैं सिवाय यह उल्लेख करने कि उसका अभिसाक्ष्य भी उसी रुपरेखा पर है जिस पर अभि. सा. 1 ने अपना कथन किया है और इससे अपीलार्थी के बारे में सभी तात्विक बातों पर दोनों बयानों के बीच किसी विरोधाभास के बिना अभि. सा. 1 के बयान की पूरी तरह संपुष्टि होती है ।

27. अब, हम अभि. सा. 5 के साक्ष्य पर आते हैं । वह अभि. सा. 1 का एक अन्य दामाद है । उसका नाम भीमानंद है । वह अपीलार्थी का भाई है । उसका अभि. सा. 1 की एक अन्य पुत्री सोनाबाई से विवाह हुआ है । उसका विवाह भी उसी दिन अनुष्ठापित हुआ था जिस दिन अपीलार्थी का रुकमिणी बाई के साथ विवाह हुआ था ।

28. इस साक्षी ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी रुकमिणी बाई के साथ दुर्व्यवहार करता था और कभी-कभी उसे पीटता भी था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसका एक नातेदार कृष्णप्पा जब रुकमिणी बाई के घर आया था, तो रुकमिणी बाई ने अपीलार्थी के उसके प्रति दुर्व्यवहार के बारे में उससे शिकायत की थी । उसे यह बात कृष्णप्पा द्वारा बताई गई थी ।

29. अब, हम अभि. सा. 17 (कृष्टप्पा) के साक्ष्य पर आते हैं । वह मृतका के पिता एकनाथ (अभि. सा. 1) का घनिष्ठ नातेदार है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि एक बार वह रुकमिणी बाई के निवास स्थान पर गया था और जब वह तुलसीगेरी स्थित मंदिर जा रहा था तो उसे रुकमिणी बाई मिली और अपीलार्थी की शिकायत की और उसे कहा कि उसके पिता (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी के लिए धनराशि भेजने का

संदेश देना ।

30. पूर्वोल्लिखित चार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने पर स्पष्ट निबंधनों में यह साबित हो जाता है कि प्रथमत:, अपीलार्थी शराब पीने का आदी था, द्वितीयत:, वह मृतका और उसके माता-पिता से अक्सर धन की मांग करता रहता था, और तृतीयत:, वह कभी-कभी मृतका के साथ दुर्व्यवहार और उस पर हमला करता था । दुर्व्यवहार करने और धन की मांग करने की घटना एक बार नहीं घटी थी अपितु बहुत बार घटी थी और यह सिलसिला विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही आरंभ हो गया था जो रुकमिणी की मृत्यु तक जारी रहा ।

31. हमारी राय में, मृतका के पिता और माता के साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जो ऐसे विवाद्यकों पर कथन करने के लिए अति स्वाभाविक और तात्विक साक्षी हैं । वास्तव में, ऐसी परिस्थितियों में, पुत्री-एक नवविवाहित लड़की अपनी घरेलू समस्याओं को सदैव सबसे पहले अपनी माता और अपने पिता को प्रकट करना चाहेगी और उसके पश्चात् अपने घनिष्ठ नातेदारों को क्योंकि उनकी उस तक पहुंच होती है और सदैव उसकी समस्याओं को हल करने में मददगार होते हैं ।

32. हमें इन चारों साक्षियों के साक्ष्य में किसी भी तात्विक विवाद्यक पर किसी प्रकार का विरोधाभास, बावजूद इसके कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उनकी विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई थी, दिखाई नहीं दिया है । इसके अलावा, कोई माता और पिता झूठ क्यों बोलेगा जब तक कि इसके पीछे उचित कारण न हों । हम इस मामले में ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं । इतना ही नहीं, उनके नातेदारों अर्थात् भीमाप्पा और कृष्टप्पा ने भी उनके बयान का समर्थन किया है ।

33. अत:, हमारी यह राय है कि अपीलार्थी (पति) के अपनी पत्नी-रुकमिणी बाई के प्रति उनके विवाह के ठीक पश्चात् के कृत्य और उसके प्रति व्यवहार, जिनके परिणामस्वरूप रुकमिणी बाई की उनके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई, पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 498क स्पष्टीकरण (क) और (ख) के अर्थांतर्गत आते हैं ।

34. इसके पश्चात् हमें इस अन्य प्रश्न की परीक्षा करनी है कि क्या रुकमिणी बाई की मृत्यु मानव वध मृत्यु थी या आकस्मिक ।

35. अभिलेख पर साक्ष्य से यह साबित होता है कि प्रश्नगत घटना मृतका के मकान में प्रात: 8.00 बजे घटी थी । साक्ष्य में यह भी आया है कि उस समय मकान में केवल दो व्यक्ति अर्थात् मृतका और अपीलार्थी थे ।

36. अभियोजन का यह पक्षकथन था कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी-रुकमिणी बाई पर, जब वह रसोइघर में थी, मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी, जबकि अपीलार्थी का पक्षकथन यह था कि यह एक आकस्मिक मृत्यु का मामला था । यह सुझाव दिया गया कि जब रुकमिणी बाई रसोईघर में चूल्हे पर पानी उबाल रही थी, तो उसकी नायलोन की साड़ी संयोग से आग के संपर्क में आ गई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ।

37. इस प्रश्न की परीक्षा करने के लिए वह रीति जिसमें घटना घटी और घटना के समय पर कमरे की विद्यमान परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं । मृतका को पहुंची दाह-क्षतियों की प्रकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ।

38. साक्ष्य का परिशीलन करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि रुकमिणी बाई की मृत्यु उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने और आग लगाने के कारण हुई थी और यह कृत्य केवल अपीलार्थी ही कर सकता था, कोई अन्य व्यक्ति नहीं । दूसरे शब्दों में, यह मानव वध मृत्यु का मामला था न कि आकस्मिक मृत्यु का मामला । यह बात निम्नलिखित परिस्थितियों से साबित होती है ।

39. प्रथम यह विवादग्रस्त नहीं है कि प्रश्नगत घटना मकान में तब घटी थी जब केवल मृतका और अपीलार्थी मौजूद थे । दूसरे शब्दों में, घटना के समय केवल अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जो मकान में मृतका के साथ मौजूद था ।

40. इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ही कुछ युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दे सकता था कि प्रश्नगत घटना कैसे और किस रीति में घटी थी । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि रुकमिणी बाई जब चूल्हे पर पानी उबाल

रही थी तब संयोग से उसकी साड़ी में आग लग गई थी । हमारी राय में, अपीलार्थी की इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

41. द्वितीय, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट और डाक्टर (अभि. सा. 6) के साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतका के शव पर मिट्टी का तेल पाया गया था और दूसरी बात यह कि कमरे में मिट्टी के तेल की एक बोतल भी पड़ी हुई थी । मृतका के शव पर मिट्टी के तेल की मौजूदगी से यह उपदर्शित होता है कि उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला गया था । चूंकि केवल अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जो कमरे (रसोईघर) में मौजूद था, वह ही था जो ऐसा कर सकता था ।

42. तृतीय, कमरे में पाई गई टूटी हुई चूड़ियों से यह सुझाव मिलता है कि मृतका ने अपने आप को बचाने के लिए अवश्य ही अपीलार्थी के साथ संघर्ष किया होगा जिसके कारण उसकी चूड़ियां टूटी थीं ।

43. चतुर्थ, यदि यह चूल्हे से आग पकड़ने का ही मामला होता, तब ऐसी स्थिति में मृतका के शव से मिट्टी के तेल की गंध आती हुई नहीं पाई जाती ।

44. पंचम, यह किसी का पक्षकथन नहीं है कि मृतका ने अपने पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की और फिर स्वयं को आग लगा दी ।

45. षष्ठम, अपीलार्थी और मृतका के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे । अपीलार्थी मृतका से धन की मांग करता रहता था जिसे वह अपीलार्थी को देने की स्थिति में नहीं थी ।

46. सप्तम, यदि यह दुर्घटना का मामला रहा होता, जैसा कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाया गया है, तब मृतका को पहुंची क्षतियां उसके शरीर के ऊपरी भाग के बजाय शरीर के निचले भाग पर अधिक न होती क्योंकि, प्रतिरक्षा पक्ष के अनुसार, मृतका तब चूल्हे के पास थी जब उसकी साड़ी में आग लगी थी । तथापि, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि दाह-क्षतियां उसके शरीर के ऊपरी भाग पर अधिक थी और उसका ब्लाउज जला हुआ पाया गया था ।

47. अपीलार्थी द्वारा दिए गए किसी युक्तिसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में और जो स्पष्टीकरण सुझाया गया उसे साबित नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त परिस्थितियों, जिस रीति में घटना घटी और कमरे से अभिगृहीत सामग्री अर्थात् मिट्टी के तेल की बोतल को ध्यान से रखते हुए, युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित होता है कि अपीलार्थी रुकमिणी की मृत्यु कारित करने के लिए उत्तरदायी था । दूसरे शब्दों में, रुकमिणी बाई की मृत्यु मानव वध मृत्यु थी न कि आकस्मिक ।

48. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् कांउसेल ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पर के कुछ साक्षियों ने उनके पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था और पक्षद्रोही हो गए थे । इसी कारण से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन के पक्षकथन को त्यक्त कर दिया जाना चाहिए ।

49. हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील से सहमत नहीं हैं । चार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से, जिसका हमने ऊपर ब्यौरा दिया है, अभियोजन का पक्षकथन पूरी तरह से साबित होता है । मामले की इस दृष्टि से, भले ही कुछ साक्षी पक्षद्रोही हो गए हो फिर भी यह बात महत्वपूर्ण नहीं है और न ही इससे अभियोजन के पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इतना ही नहीं, जब वे साक्षी जिनको हमने ऊपर निर्दिष्ट किया है, पक्षद्रोही नहीं हुए थे और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें ठीक ही विश्वसनीय पाया गया था ।

50. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के तर्काधार और निष्कर्ष से सहमत हैं । परिणामत:, यह अपील असफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.